संख्या-50/2015/1514/22-4-14-48(41)/10

प्रेषक,

आर0 के0 द्विवेदी

उप सचिव

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं

उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग 4 लखनऊ दिनांक-23 फरवरी, 2015

विषय- जिला कारागार, रायबरेली की वर्तमान मुख्य प्राचीर के बाहर नई मुख्य प्राचीर के निर्माण हेतु प्राप्त पुनरीक्षित आगणन की प्रशासनिक /वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्घ में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-36095/नम-4/114, दिनांक- 02 दिसम्बर, 2014 के क्रम में एवं शासनादेश संख्या-2938/22-4-11-48(41)/10, दिनांक 27.01.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, रायबरेली की वर्तमान मुख्य प्राचीर के बाहर नई मुख्य प्राचीर के निर्माण हेतु कुल स्वीकृत रू0 549.01 लाख के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। उक्त कार्य के पुनरीक्षित आगणन को प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा रू0 653.13 लाख पर मूल्यांकित किया गया है।

2- अत- सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय जिला कारागार, रायबरेली की वर्तमान मुख्य प्राचीर के बाहर नई मुख्य प्राचीर के निर्माण हेतु रू0 6,53,13,000/-(रूपया छः करोड़ तिरपन लाख तेरह हजार मात्र) की लागत पर पुनरीक्षित प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) निर्माण कार्य की लम्बाई/चौडाई में परिवर्तन, प्रस्तावित डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन जैसे नये कार्य बढाना, कार्यों के आकार एवं योगफल में वृद्वि एवं अन्य विशिष्टियां इस्तेमाल करना आदि व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(2) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व महानिरीक्षक कारागार द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(3) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(4) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुण्वत्ता की जिम्मेदारी महानिरीक्षक कारागार की होगी, वे सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में पूर्ण हो जाय।

(5) निर्माण कार्य दिनांक 31.3.2015 तक पूर्ण कर उसका कब्जा विभाग को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(7) चालू कार्य के रूप में स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(8) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(9) पुनरीक्षित आगणन के आधार पर अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।

3- प्रायोजना के पुनरीक्षित आगणन के मूल्यांकन से सम्बन्धित उद्वरण की छायाप्रति संलग्न है।

4- यह आदेश वित्त विभाग के आशासकीय संख्या-ई-12-184/दस-2015, दिनांक- 18 फरवरी, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

संख्या- 50/2015/1514(1)/22-4-14-तददिनांक-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(3) प्रबंध निदेशक, राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।

(4) जिलाधिकारी, रायबरेली।

(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(6) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2

(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in